यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग, टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग के माह 03/2012 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.11.2018 से 19.11.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे इलेक्ट्रिशियन आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे देवप्रयाग क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	19.10	15.36	11.41	11.31	-	3.83
2	2013-14	0.00	0.00	20.17	18.26	1.31	1.19	-	2.03
3	2014-15	0.00	0.00	36.90	24.69	6.95	4.09	-	15.07
4	2015-16	0.00	0.00	28.16	27.45	6.83	5.88	-	1.66
5	2016-17	0.00	0.00	37.89	37.89	12.93	12.92	-	0.09
6	2017-18	0.00	0.00	22.41	22.41	14.26	13.48	-	0.78
7	2018-19 10/2018 तक)	0.00	0.00	30.45	16.89	9.97	7.87	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक आवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)**	**विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2012 से 10/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 09/2016 03/2018एवं को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:1- रु 8.49 लाख का लम्बित दायित्व का प्रकरण।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग की अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा (अगस्त 2018 तक) भवन किराया भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप लम्बित दायित्व की स्थिति बनी हुई थी उक्त लम्बित दायित्व रु 8.49 लाख का भुगतान लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार जुलाई 2016 से नही किया जाना पाया गया। इस संबंध मे आईटीआई देवप्रयाग का पत्रांक 384/भ॰कि॰/2016, दिनांक 24.09.16 द्वारा नगर पालिका परिषद से भवन का कार्पेट एरिया का एस्टिमेट नक्शा एवं जिलाधिकारी का औचित्य प्रमाण पत्र तथा कार्पेट एरिया का लोक निर्माण विभाग की मार्केट किराया सर्वे रिपोर्ट अपेक्षाकृत मई 2017 मे नगर पालिका परिषद द्वारा पत्रावली प्रस्तुत किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक किराया भुगतान न होने के कारण बकाया राशि/देयता(Liability) मे वृद्धि का प्रकरण पाया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त मद मे भुगतान हेतु निदेशालय को बजट आवंटन के लिए मांग की गई है तथा समस्त वांछित पत्रावली जो नगर पालिका परिषद से प्राप्त की गई है, नोडल कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है, जबाव आना प्रतीक्षित है संबन्धित भवन को पूर्व मे निशुल्क हस्तगत किया गया था।

उत्तर संतोषजनक प्रतीत नही होता क्योकि समस्त अपेक्षाकृत पत्रावली एक वर्ष छः माह पूर्व भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी, परंतु त्वरित कार्यवाही के अभाव मे देयता(Liability) मे दिनोदिन बढ़ोतरी होना पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:1- अनियमित व्यय रु 1.71 लाख।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग की बजट पत्रावली की जांच मे नमूना जांच के रूप मे चयनित वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतर्गत कार्यालय मे मदों के लेन-देन का परीक्षण किया गया, जिसमे पाया गया कि लेखाशीर्ष 2230-03-003-03-00 के अंतर्गत मानक मद- 42' अन्य व्यय' मे रु 1.71 लाख आवंटन के सापेक्ष शत प्रतिशत राशि कार्यालय के मशीन साज सज्जा पर व्यय की गयी, जबकि आईटीआई मे शसान द्वारा संचालित मद स॰42 'अन्य व्यय' से राशि का आहरण व्यवसाय के संचालन मे प्रयोगार्थ Raw Material के लिए अनुमन्य पाया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संस्थान के उपयोगार्थ क्रय की गयी फोटो स्टेट मशीन के लम्बित भुगतान के सापेक्ष निदेशालय द्वारा मद 42 मे आवंटित की धनराशि का उपयोग लम्बित भुगतान हेतु किया गया। इसकी जानकारी मौखिक रूप से प्राप्त हो गयी थी ।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि फोटो स्टेट मशीन का लम्बित भुगतान 'अन्य व्यय' मद से किया गया जो अनुमन्य नही था, क्योंकि उक्त सामाग्री भुगतान के लिए कार्यालय मे पृथक से मशीन साज सज्जा मद का संचालन हो रहा था। इस प्रकार बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किए मौखिक आदेश पर एक मद की राशि से दूसरे मद की समग्रियो पर व्यय किया जाना उत्तराखण्ड बजट मैनुअल 2012 के पैरा 93 का उल्लंघन पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
---------------प्रथम लेखापरीक्षा-------------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
---------------प्रथम लेखापरीक्षा-------------						

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री पी सी उनियाल	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग	लेखापरीक्षा अविधि से 26.07.12 तक
श्री आर के वर्मा	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग	27.07.12 से 04.01.17
श्री मनमोहन कूडियाल	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग	05.01.17 से 30.07.17
श्री संजीव कुमार (कार्यवाहक)	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग	31.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.